

पत्रकार संगठनों का सामूहिक मंच

संयुक्त पत्रकार महासभा
छत्तीसगढ़ प्रदेश

पत्र क्रमांक ०१.८.५.....

दिनांक ०३/१०/२०२४

प्रति,

श्रीमान विष्णु देव साय जी
 माननीय मुख्यमंत्री/जनसंपर्क मंत्री- छत्तीसगढ़

विषय :- संयुक्त पत्रकार महासभा- रायपुर (छत्तीसगढ़) द्वारा पारित पत्रकारिता संकल्प- 2 अक्टूबर 2024 के मांगों की पूर्ति के लिए समुचित कार्यवाही करने बाबत।

मान्यवर,

छत्तीसगढ़ प्रदेश में कार्यरत विभिन्न पत्रकार संगठनों की 'संयुक्त पत्रकार महासभा' आज 02 अक्टूबर 2024 को गॉस मेमोरियल मैदान-रायपुर में आयोजित हुई। जिसमें निम्नलिखित संकल्प सर्वसम्मति/धनिमत से पारित किया गया है।

(1) पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने :-

पत्रकारों की सुरक्षा के लिए छत्तीसगढ़ विधानसभा में पारित मीडियाकर्मी सुरक्षा कानून को संशोधित कर तत्काल लागू किया जाना चाहिए। जनहित के लिए काम करने वाले पत्रकारों को वर्तमान व्यवस्था में सुरक्षा का अभाव है। पत्रकारों को लगातार असामाजिक ताकतों, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले नेताओं और भृष्ट अधिकारियों के हमलों का सामना करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य में भी रेत, पत्थर, शराब और रियल एस्टेट माफिया ने पत्रकारों को धमकाया है। अनेक पत्रकारों की हत्या हुई है। पत्रकारों की सुरक्षा के लिए विशेष कानून बनाने की पत्रकार संघों की अपील को केंद्र और राज्य सरकारें अनुसुना कर रही हैं। संयुक्त पत्रकार महासभा केंद्र और राज्य सरकार से पत्रकारों और मीडिया कर्मियों की सुरक्षा के लिए व्यापक कानून बनाने की मांग करती है। पत्रकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। इस रूबंध में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा केंद्र सरकार को दिए गए सकारात्मक विशिष्ट प्रस्तावों के अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देशित किया है कि पत्रकारों की सुरक्षा के

*Reed
19/10*

(2)

लिए विशेष उपाय किए जाने चाहिए। पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में यह कानून लागू है तथा हरियाणा, बिहार और अन्य राज्य सरकारों ने इन कानूनों को लाने की इच्छा व्यक्त की है। हमारी मांग है कि केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ राज्य सरकार पत्रकारों पर हमले के मामलों में पर्याप्त मुआवजा प्रदान करने के लिए स्पष्ट प्रावधानों के साथ व्यापक कानून बनाएं।

(2) मीडिया आयोग की स्थापना :-

संयुक्त पत्रकार महासभा, केंद्र/राज्य सरकार से मांग करती है कि वह पत्रकार हित में उचित कानून बनाने और मीडिया में बदलाव और स्थितियों का व्यापक अध्ययन करने के बाद उचित सिफारिशें करने के लिए तत्काल मीडिया आयोग का गठन करें। पिछले तीन दशकों में मीडिया का जैसा हाल हो गया है, उस पर कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने देश के कुछ मीडिया चैनलों पर विभिन्न समुदायों के बीच नफरत भड़काने वाले कार्यक्रमों के प्रसारण पर गहरी चिंता व्यक्त की थी। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि मीडिया संगठनों को ऐसी प्रवृत्तियों से रोका जाना चाहिए। इस संदर्भ में देश में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल और सोशल मीडिया की स्थिति का अध्ययन करने और उचित कानून और दिशानिर्देश बनाने की आवश्यकता है। इसके अलावा, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, जो वर्तमान में केवल प्रिंट मीडिया तक ही सीमित है, को इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल तथा इंटरनेट मीडिया का समावेश करते हुए मीडिया काउंसिल ऑफ इंडिया में बदलने की आवश्यकता भी राष्ट्रीय पत्रकार संगठनों, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई) द्वारा बार-बार बयानों के माध्यम से इंगित की गई है।

महासभा की पुरजोर मांग है कि केंद्र में हाल ही में बनी भाजपा के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार को इस मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और एक मीडिया आयोग का गठन करना चाहिए और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को मीडिया काउंसिल में बदलना चाहिए।

(3) पत्रकार कल्याण कोष और वेज बोर्ड के लिए सक्रिय कमेटी बनाने:-

पत्रकारों को पत्रकारिता के दौरान आने वाली समस्याओं को हल करने, पत्रकार कल्याण के लिए और मजीठिया वेज बोर्ड की सिफारिशों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए गठित समितियों का कामकाज ठीक नहीं चल रहा है। पिछले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ सरकार ने भी इन समितियों के गठन में लापरवाही बरती। इन समितियों को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। पत्रकारों पर हमलों को रोकने के लिए राज्य स्तर पर जनसमर्क मंत्री / श्रम मंत्री की अधिक्षता और जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अधिक्षता में समितियों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। महासभा सरकार से यह भी अपील करती है कि पत्रकार संघों के प्रतिनिधियों को, पत्रकारों की सहायता के लिए गठित पत्रकार कल्याण कोष समिति में प्रतिनिधित्व दिया जाए।

(3)

(4) पत्रकारों के लिए आवास व्यवस्था:-

समाज हित में काम करने वाले पत्रकारों को पिछले दस सालों में मकान देने का वादा पूरा नहीं हुआ है। सरकार के उपेक्षापूर्ण व्यवहार के कारण पत्रकारों का खुद का मकान होने का सपना केवल 'सपना' बनकर रह गया है। पिछले 15 वर्षों से प्रदेश में घर या प्लॉट का इंतजार कर रहे संगठन सदस्यों को गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। संयुक्त पत्रकार महासभा राज्य सरकार से रायपुर शहर के साथ-साथ जिला और मंडल केंद्रों में काम करने वाले पत्रकारों को घर आवंटित करने के लिए एक स्पष्ट नीति बनाने की मांग करती है।

(5) ग्रामीण पत्रकारों को वेतन देने:-

विभिन्न मीडिया हाउस के मालिक फ़ील्ड में रात - दिन समाचार एकत्र करने में लगे ग्रामीण पत्रकारों को वेतन का भुगतान नहीं करते हैं। जिन नियोक्ताओं द्वारा पत्रकारों को न केवल समाचार एकत्र करने बल्कि विशापन एकत्र करने और प्रसार बढ़ाने की भी जिम्मेदारी दी गयी है, वे पत्रकारों को वेतन भुगतान नहीं कर रहे हैं। न्यूज चैनलों में भी यही स्थिति है। मजीठिया वेज बोर्ड की अनुशंसा के अनुरूप पत्रकारों को वेतन देना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। पत्रकार संगठनों के महासम्मेलन राज्य सरकार से इससे संबंधित कानूनों को सख्ती से लागू करने की मांग करती है।

(6) पत्रकारों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने:-

राज्य के सभी पत्रकारों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की जाए। कोरोना काल से पत्रकारों को पिछले पांच - छह वर्षों से गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। महासभा मांग कर रही है कि सभी पात्र पत्रकारों को स्वास्थ्य कार्ड जारी किया जाए और सभी सरकारी, कॉर्पोरेट और बहु-विशिष्ट अस्पतालों में कैशलेस चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए नियम बनाया जाए।

(7) पत्रकारों को पेंशन सुविधा प्रदान करने :-

मीडिया में लंबे समय तक जनहित और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए काम करने वाले पत्रकारों को पेंशन सुविधा प्रदान की जाए। महासभा की पुरजोर मांग है कि लंबे समय से अपर्याप्त वेतन पर, कई दबावों और स्वास्थ्य समस्याओं के बावजूद सामाजिक कल्याण के लिए काम करने वाले पत्रकारों को पेंशन प्रदान करने के लिए नीति निर्धारित की जाए। सभी पत्रकारों के लिए राष्ट्रीय स्तर की पेंशन योजना शुरू करने का अनुरोध है। इसके साथ ही पत्रकारों के बच्चों को मुफ्त और बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए कानून बनाने की आवश्यकता है।

भवदीय

संयुक्त पत्रकार महासभा

(च. सी. कश)

इंडियन जर्नलिस्ट्स प्रूनियन [I J U].

इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स [I F W J]

प्रेस एंड मीडिया वेलफेर प्रैसोसिएशन.

आदर्श पत्रकार संघ.

मीडिया पत्रकार मंच.

पत्रकार कल्याण महासंघ.

पत्रकार महासंघ छत्तीसगढ़.

छत्तीसगढ़ जर्नलिस्ट वेलफेर प्रूनियन रायपुर.

छत्तीसगढ़ जर्नलिस्ट प्रूनियन.

स्टेट वर्किंग जर्नलिस्ट्स प्रूनियन छत्तीसगढ़.

छत्तीसगढ़ सक्रीय पत्रकार संघ.

छत्तीसगढ़ प्रेस वेलफेर प्रैसोसिएशन.

अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति.

प्रेस क्लब ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट (P C W J).

सन्दावना पत्रकार संघ.

छत्तीसगढ़ प्रेस क्लब.

छत्तीसगढ़िया पत्रकार महासंघ.

भारतीय पत्रकार संघ.

अखिल भारतीय पत्रकार एवं संपादक एसोसिएशन.

पत्रकार प्रेस महासंघ.

प्रदेश पत्रकार प्रूनियन.

छत्तीसगढ़ मीडिया एसोसिएशन.

राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा.

पत्रकार जनकल्याण समिति.

द जर्नलिस्ट एसोसिएशन.

सन्दावना पत्रकार संघ.

आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन.

प्रिंट मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन.

एवं

छत्तीसगढ़ के समस्त जिला प्रेस क्लब, पत्रकार संघ

~~Signature~~

(च. सी. कश)

(21)।।।(१८४)

(Dr. Amitabh kaw)

~~Signature~~~~Signature~~

(अविना गोवार्ही) (३१०५२०१८ छत्तीसगढ़ प्रूनियन)

(विनेन्द्र कुमार शर्मा) (३१०५२०१८ छत्तीसगढ़ प्रूनियन)

~~Signature~~ शंख गोवार्ही

(Ghosh) अमित तुमार शर्मा

~~Signature~~ (जगद्दुर्घाट)~~Signature~~ वि. २०१८~~Signature~~

मनोभर्म (२१०५)

(भृन्त शर्मा)

~~Signature~~

ईमिया जनलिस्ट्स कोल्लिक्टिविंग (आईजी)

M.D.S

बिहार उम्मा प्रजातंत्र

~~Signature~~ बिहार मंत्रालय

आखीय राज्य प्राकार अधिकारी

~~Signature~~ अमित शर्मा